पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 505

थाना मामला संख्या- 156 वर्ष-2012 थाना-खगड़िया जिला-खगड़िया, से उत्पन्न

==========

रणजीत शर्मा, पुत्र-रामचंद्र शर्मा, निवासी- गाँव- रानीसाकरपुरा, थाना-खगड़िया (गंगौर), जिला-खगड़िया।

.... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः-

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री नीरज कुमार उर्फ सानिध, अधिवक्ता
		श्री अश्विनी राज नारायण, अधिवक्ता
		श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 374 (2), 389 (1), 53, 53ए---भारतीय दंड संहिता---धारा 376---बलात्कार के मामलों में अभियोक्ता की गवाही का साक्ष्य मूल्य----अभियोक्ता के बलात्कार करने के आरोप पर धारा 376 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---बलात्कार के मामले में अभियोक्ता की गवाही घायल गवाह की गवाही की तुलना में बेहतर आधार पर होती है और अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वास पैदा करता है और ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, जो उसकी सत्यता के विरुद्ध हों---वर्तमान मामले में अभियोक्ता का साक्ष्य न केवल विश्वसनीय है, बल्कि विश्वसनीय और पूरी तरह भरोसेमंद भी है और साथ ही इसकी वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि निश्चित रूप से हो

*सकती है----यह एक स्थापित कानून है कि उत्पीड़न का मामला केवल जांच अधिकारी की जांच न करने के कारण विफल नहीं हो सकता है, जब तक कि प्रत्यक्षदर्शी (वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष) की विश्वसनीयता बरकरार रहती है---अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल रिपोर्ट / एफएसएल रिपोर्ट के साथ, कोई संदेह पैदा करने का कोई कारण नहीं है---यौन हिंसा न केवल एक बर्बर कृत्य है बल्कि बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ अपराध है और पीड़ित के मौलिक अधिकार, यानी जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है, इसलिए, अदालतों से न केवल बलात्कार के मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ बल्कि सख्ती और निर्दयता से निपटने की उम्मीद की जाती है---अपील खारिज। **(पैरा 12-16)***

*(2010) 2 एससीसी 9, (2010) 8 एससीसी 191, (2018) 18 एससीसी 34, (2002) 6 एससीसी 81, (1996) 2 एससीसी 317, (2020) 10 एससीसी 573 .....**संदर्भित।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

कैव जजमेंट

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

तारीखः18-01-2025

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 (1) के साथ पठित धारा 374 (2) के तहत वर्तमान अपील (जिसे इसके बाद "दं प्र सं " के रूप में संदर्भित किया गया है) को 2012 के सत्र परीक्षण संख्या 216 (2012 के खगड़िया (गंगौर) पी. एस./थाना मामले संख्या 156 से उत्पन्न) में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खगड़िया (जिसे इसके बाद "विद्वान परीक्षण न्यायाधीश" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित क्रमशः 12.05.2015 और 18.05.2015 के दोषसिद्धि और सजा के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। उक्त निर्णय द्वारा, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कठोर/सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 31.03.2012 को 22:00 बजे, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एस. एच. ओ.), गंगौर ओ. पी. (कैम्प सदर अस्पताल, खगड़िया), द्वारा सदर अस्पताल, खगड़िया में, अर्जुन गोस्वामी (पी. डब्ल्यू. 2) की पत्नी, सुमित्रादेवी का फ़र्दबेयान रिकॉर्ड किया गया। फ़र्दबेयान में, श्रीमती सुमित्रादेवी (इसके बाद "सूचक" के रूप में संदर्भित) ने कहा है कि उनकी पोती (इसके बाद "अभियोजिका" के रूप में संदर्भित) पिछले तीन-चार वर्षों से उनके घर में उनके साथ रह रही थी। 31.03.2012 को लगभग 6:00 बजे शाम को, जब सूचक और अभियोजिका घर पर थे और अभियोजिका खेल रही थी, तो सूचना देने वाली अभियोजिका को घर मे रहने के लिए कहकर, अपने पड़ोसी

कौशल्या देवी के घर कुछ पैसे उधार लेने गई थी, हालांकि, जब वह लगभग 7:00 बजे शाम को अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी पोती दर्द से कांप रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि पड़ोसी रंजीत शर्मा यानी यहाँ अपीलकर्ता ने उसका *पायजामा* (पतलून) खोला था और उसके साथ गलत किया है, जिसके बाद सूचना देने वाली ने एक टॉर्च जलाई और देखा कि अभियोजिका के कमर के नीचे के कपड़े खून से भीगे हुए थे और खून जमीन पर गिर गया था, इसके अलावा उसके निजी अंगों से खून बह रहा था जो उसके पैर पर भी गिरा था। सूचक ने शोर मचाया था, जिसके बाद पड़ोसी आ गए थे और फिर अभियोजिका को सदर अस्पताल, खगड़िया ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर, गंगौर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, अस्पताल पहुंचे और सूचक का फरदबेयान दर्ज किया। सूचना देने वाले को फरदबेयान पढ़ने के बाद, उसने उसी पर अपने दाहिने अंगूठे का निशान लगा दिया था।

3. फरदबेयान की रिकॉर्डिंग के बाद, 2012 का खगड़िया (गंगौर) पी. एस. मामला संख्या 156 की औपचारिक प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए लगभग 10:30 बजे 01.04.2012 को रंजीत शर्मा (अपीलार्थी) के खिलाफ दर्ज की गई थी। जाँच के बाद और अपीलार्थी के मामले को सही पाए जाने के बाद, पुलिस ने अपीलार्थी के खिलाफ 31.05.2012 पर आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद, 04.06.2012 को, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खगड़िया ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध का संज्ञान लिया था और बाद में 23.06.2012 को, मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और इसे 2012 के सत्र परीक्षण संख्या 216 के रूप में अंकित गया था। 27.09.2012 को, अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोप तय किया गया था। मुकदमे के दौरान, जबकि पी. डब्ल्यू. 1 सौदागर पासवान, पी. डब्ल्यू. 3 नरेश गोस्वामी, पीडब्लू. 5 रामदेव रजक, पीडब्लू. 6 राज कुमार महतो और पीडब्लू. 7 गौरी शंकर गोस्वामी पकशद्रोही हो गए थे, सूचना देने वाली यानी पीडब्लू 2 सुमित्र देवी और अभियोजिका यानी पीडब्लू 8 से परीक्षण और जिरह की गई थी। पीडब्लू 4 डॉ. मंजू कुमारी, जिन्होंने अभियोजिका की जांच की थी और चिकित्सा रिपोर्ट/पूरक चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की थी, की भी परीक्षण और प्रतिपरिक्षण की गई है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री नीरज कुमार ने पूरे साक्ष्य और अभिलेख पर सामग्री का उल्लेख करने के बाद तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने

चुनौती के तहत दोषसिद्धि का निर्णय गलत तरीके से पारित किया है। यह तर्क दिया गया है कि सभी स्वतंत्र गवाह, यानी पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 5 से पी. डब्ल्यू. 7, मुकर गए हैं। जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 2 अर्थात सूचना देने वाली और अभियोजिका की दादी का संबंध है, उसके फ़र्दबेयान और उसकी गवाही के बीच कई विरोधाभास हैं। जबकि पी. डब्ल्यू. 2 ने फरदबेयान में कहा है कि जब वह 31.3.2012 की शाम को घर लौटी तो उसने अपनी पोती को दर्द से रोते हुए पाया और उसके कपड़े खून से लथपथ थे, जिसके बाद अभियोजिका ने उपरोक्त घटना सुनाई थी और फिर अभियोजिका को खगड़िया अस्पताल ले जाया गया जहां सूचना प्राप्त होने पर पुलिस आई थी और उसने उसका फरदबेयान दर्ज किया था, हालाँकि, अपने साक्ष्य में, उसने कहा है कि वह गंगौर पुलिस स्टेशन के के रास्ते अस्पताल गई थी जहाँ से उक्त पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. उनके साथ अस्पताल गए थे और हालाँकि अभियोजिका घर पर बेहोश थी, हालाँकि उसे अस्पताल में लगभग 3:00 बजे सुबह में होश आ गया था।। इसी तरह, अभियोजिका यानी पीडब्लू 8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसे गंगौर पुलिस स्टेशन के के रास्ते अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से पुलिस उनके साथ अस्पताल गई थी। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि असत्य प्रतीत होते हैं। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि जे. एल. एम. एन. सी. एच., भागलपुर की योनि स्वेब रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई शुक्राणु नहीं मिला है और चिकित्सा रिपोर्ट भी बलात्कार के तथ्य की पुष्टि नहीं करती है और वास्तव में यह बताती है कि चोट नुकीले कठोर पदार्थ के कारण हुई है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. प्रदर्शित नहीं की गई है और जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है, जिससे याचिकाकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, क्योंकि इससे मामले के वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों का पता चलता है और यह भी कि 31.03.2012 को 10:30 बजे अपराह्न को फरदबेयन कैसे दर्ज किया गया। अंत में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दं प्र सं की धारा 53 को यह प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया है कि इसका उल्लंघन किया गया है, इसलिए, अपीलार्थी को पूर्वाग्रह से ग्रस्त किया गया है।

5. राज्य के विद्वान एपीपी, श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि वर्तमान जैसे मामले में, अभियोजिका की एकमात्र गवाही अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त है। अभियोजिका (पीडब्लू. 8) के साक्ष्य

का उल्लेख करते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि अभियोजिका ने लगातार बलात्कार के तथ्य का खुलासा किया है, जो अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किया गया था और उसके बाद, उसे गंगौर पुलिस स्टेशन के रास्ते अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से पुलिस उनके साथ थी, जिसकी पुष्टि चिकित्सा रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट से भी होती है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना देने वाली की गैर-जांच और एफ. आई. आर. को प्रदर्शित नहीं किए जाने से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो घटना का स्थान विवादित है और न ही अभियोजिका पर किए गए बलात्कार का तथ्य विवाद में है, जो पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य और रिकॉर्ड पर चिकित्सा रिपोर्टों से भी प्रमाणित/समर्थित होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने सात साल के बच्चे के साथ एक जघन्य अपराध किया है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए, इस प्रकार, अपील किसी भी योग्यतासे रहित होने के कारण खारिज की जाने योग्य है। प्रत्यर्थी/ओं को लिएः श्री अरविंद उज्जवल एस.सी.-4

6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के अलावा, हमने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले, साक्ष्य पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करना आवश्यक है।

7. सूचना देने वाली सुमित्रादेवी (पी. डब्ल्यू. 2), जो अभियोजिका की दादी हैं, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि लगभग 11 महीने पहले, एक दिन जो शनिवार था, लगभग 6:00 बजे शाम को, वह और उसकी लगभग 7 साल की पोती अपने घर में थीं, जिसके बाद वह अपने पड़ोसी के घर 100/- रुपये उधार लेने गई थी, अपनी पोती को घर पर छोड़कर, जहाँ वह अपने पड़ोसी से बात करने लगी और फिर वह लगभग 7:00 बजे शाम को अपने घर वापस आ गई और उसने देखा कि उसकी पोती दर्द से रो रही थी और उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था और उसके कपड़े भी खून से लथपथ थे और जमीन पर खून गिरा था। पूछे जाने पर, अभियोजिका ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसका पायजामा खोलने के बाद उसके साथ बलात्कार किया था। पीडब्लू 2 ने आगे कहा है कि जब वह अपने पड़ोसी के घर से वापस आ रही थी, तो उसने अपीलार्थी को दीवार कूदकर भागते देखा था। इसके बाद, अभियोजिका को इलाज के लिए खगड़िया के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पुलिस अधिकारी आए थे और उसका फरदबेयान रिकॉर्ड किया था, जिसे उसे पढ़कर सुनाया गया था, जिसके बाद उसने सही पाए जाने पर उस पर अपना निशान

लगा दिया था और वहां उसका भतीजा भी मौजूद था। पी. डब्ल्यू. 2 ने भी अपीलार्थी को मान्यता दी थी/पहचानी थी। उसकी जिरह में, पीडब्लू 2 ने कहा है कि उसके पति का नाम अर्जुन है, जो नौगाछिया में लोहे का व्यवसाय करता था और उसके बहनोई का नाम सहदेव है और वह अपने पति के साथ नौगाछिया में रहती थी। पीडब्लू 2 ने इस तथ्य से इनकार किया है कि वह अपने बहनोई से प्यार करती थी और वह उसके साथ छोटी रानी साकरपुरा आई थी। पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि उसने अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जो भागलपुर में चल रहा है। पीडब्लू 2 ने आगे कहा है कि उसकी कोई संतान नहीं थी और हालाँकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन छह महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। पी. डब्ल्यू. 2 ने आगे कहा है कि उन्होंने छोटी रानी साकरपुरा में एक बिक्री विलेख के माध्यम से जगदम्बी महतो से 5 धुर जमीन 7,000-8,000/- में खरीदी थी। और कुल रु 10, 000/- खर्च किए गए थे। पी. डब्ल्यू. 2 ने अपीलार्थी के पिता, अर्थात् रामचंद्र से 5 धुर भूमि खरीदने के लिए रु. 30, 000/- उधार लेने से इनकार कर दिया है। और साथ ही पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा रामचंद्र को पैसे वापस नहीं करने के कारण उनके साथ कभी कोई विवाद होने से भी इनकार किया है। जिरह में, पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि जब वह दुर्भाग्यपूर्ण शाम को घर लौटी, अभियोजिका बेहोश हो गई थी और इंजेक्शन लगाए जाने और दवा दिए जाने के बाद सुबह लगभग 3 बजे उसे अस्पताल में होश आया। पीडब्लू 2 ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि वह गंगौर पुलिस स्टेशन के रास्ते अपनी पोती के साथ बोलेरो वाहन में अस्पताल गई थी और पुलिस अधिकारी भी उनके साथ अस्पताल गए थे। पीडब्लू 2 ने कहा है कि वे लगभग 9:00 बजे रात में गंगौर पुलिस स्टेशन पहुंची थी और चंद्रचूड़ महतो, पप्पु यादव और गिवच गोस्वामी उनके साथ बोलेरो वाहन में थे। पी. डब्ल्यू. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि उसके पास एक बकरी है और लकड़ी के टुकड़े जलाऊ -लकड़ी के रूप में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से घर में रखे हैं। पी. डब्ल्यू. 2 ने इस बात से इनकार किया है कि अभियोजिका बकरी को चराने गई थी और इस प्रक्रिया में, वह जलाऊ लकड़ी पर गिर गई थी, जिससे उसे चोटें लगी थीं।

8. पी. डब्ल्यू. 8, अर्थात अभियोजिका ने अपने मुख्य-परीक्षा में कहा है कि यह घटना दो साल पुरानी है जब शाम को लगभग 6 से 7 बजे जब वह घर में अकेली थी, तब उसकी दादी पैसे उधार लेने के लिए कुम्हार नाना के घर गई थी और उसे बताते हुए कि उसने मोबाइल चार्ज पर रखा है और अगर उसकी मोबाइल की घंटी बजती है तो उसे

फोन उठाना चाहिए। और कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए। इसके बाद, अपीलार्थी वहाँ पहुँचा, उसका *पजामा* खोला और अपनी मोटी वस्तु को उसके छेद में डाल दिया जिससे पेशाब किया जाता है, जिससे वहाँ से खून बहने लगा और दर्द भी शुरू हो गया था। उसने यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने उसके मूत्र छिद्र में अपना लिंग डाला था, जिसके बाद उसने शोर मचाया था लेकिन उसने उसका मुंह दबा दिया था और फिर वह भाग गया था। इसके बाद, अभियोजिका की दादी वहां पहुंची और उसे सदर अस्पताल, खगड़िया ले गई, जहाँ उसका इलाज किया गया और वहाँ पुलिस पहुंची और उसका बयान दर्ज किया। पी. डब्ल्यू. 8 ने भी अपीलार्थी को मान्यता दी/पहचानी थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में, अभियोजिका ने कहा है कि अपीलकर्ता अपनी दादी के घर से बाहर निकलने के पांच मिनट बाद घर में प्रवेश किया था और उसने कुर्सी पर और जमीन पर बैठे हुए उसके साथ गलत किया था और उस समय उसने *पैंट* और *पायजामा* पहना हुआ था और कमर के ऊपर उसने सूट पहना हुआ था। उसने यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने उसके साथ गलत काम करने से पहले अपना *पजामा* और *पैंट* खोला था और उसे उसके शरीर से हटा दिया था। पी. डब्ल्यू. 8 ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि जब उसकी दादी आई तो उसने खुद को चादर से ढक लिया और बिस्तर पर बैठ गई, जिसके बाद उसकी दादी उसे गंगौर होते हुए खगड़िया अस्पताल ले गई और पुलिस भी उनके साथ खगड़िया गई। पी. डब्ल्यू. 8 ने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह बकरी को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए के *हुटा* (खूंटी) पर गिर गई थी और इससे उसे चोटें आई थीं और अपीलार्थी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था।

9. हमने दिनांकित 01.04.2012 की जब्ती सूची भी देखी है, जिसमें अभियोजिका के घर से जब्त की गई वस्तु का विवरण दिया गया है और इसमें एक काले रंग का अंडरगारमेंट (पैंटी/आधा पैंट) शामिल है जिस पर खून के धब्बे और शुक्राणु प्रकार के धब्बे पाए गए हैं, एक पीला और सफेद रंग का दो पीस सूट जो खून के धब्बे भी थे और एक नारंगी रंग का *पजामा* जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे। हमने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार सरकार, पटना की रिपोर्ट, दिनांकित 24.8.2012, भी देखी है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे पुनरुत्पादन/पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"पार्सल (एस) में शामिल लेख (एस) का विवरण

1. 'ए' चिह्नित पैकेट में एक पुराना फटा हुआ और गंदे काले रंग का जंघिया था जिसे पैंट कहा जाता था, जिस पर जगह-जगह लाल भूरे रंग के दाग थे। इसमें भूरे रंग के सफेद दाग भी थे जो महसूस करने में कठोर थे और जो पराबैंगनी प्रकाश में विशिष्ट नीले रंग के सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं।

2. 'बी' चिह्नित पैकेट में दो टुकड़ों के ऊपरी हिस्से में एक पीला सफेद रंग था, जिस पर जगह-जगह लाल भूरे रंग के दाग थे। इसमें धूसर सफेद धब्बे भी थे जो न तो महसूस करने में कठोर थे और न ही वे कोई पराबैंगनी प्रकाश में विशेषता नीला रंग के सफेद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते थे।

3. 'सी' चिह्नित पैकेट में एक पुराना, फटा हुआ और गंदा नारंगी रंग का पैजामा था, जिस पर बड़े क्षेत्रों में लाल भूरे रंग के दाग थे। इसमें धूसर सफेद दाग भी थे जो न तो महसूस करने के लिए कठोर थे और न ही वे पराबैंगनी प्रकाश में किसी भी विशेषता वाले नीले सफेद प्रतिदीप्ति का उत्पादन करते थे।

जाँच का परिणाम

1. प्रदर्श में निम्नानुसार रक्त का पता चला हैः-

(i) प्रदर्शचिह्नित-ए- स्थानों पर

((ii) प्रदर्श चिह्नित-बी- स्थानों पर

(iii) प्रदर्श चिह्नित- बड़े क्षेत्रों में स्थानों पर

2. 'ए' चिह्नित प्रदर्श में वीर्य का पता चला है।

3. 'बी' और 'सी' चिह्नित किसी भी प्रदर्श में वीर्य का पता नहीं चला।

4. रक्त और वीर्य की उत्पत्ति और समूह पर सीरोलॉजिकल रिपोर्ट का पालन किया जाएगा। .

10. पीडब्लू 4 डॉ. मंजू कुमारी द्वारा तैयार की गई 01.04.2012 की मेडिकल रिपोर्ट को Exh.-1/प्रर्दश 1 के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः-

"ऊँचाई-3 फुट दाँत-24

वजन-17 किग्रा। एम. आई.-बाएं घुटने के जोड़ पर पुराना निशान। स्तन विकसित नहीं हुआ

अक्षीय बाल मौजूद नहीं हैं। प्यूबिक बाल मौजूद नहीं हैं।

एक घाव 2 से. मी. x 1/4 से. मी. x 1/4 से. मी. लंबा ऊर्ध्वाधरपेरिनेम के ऊपर मध्य रेखा (6 बजे) स्थिति में और लैबिया घाव के ऊपर पॉस. कमिशर और फरचेसू ताजा रक्त के माध्यम से विस्तारित। योनि के बाएँ और दाएँ दीवार पर 1/2 सेमी x 1/2 सेमी चोट लगना। "

पूरक चिकित्सा रिपोर्ट दिनांक 21.5.2021 में, जिसे पीडब्लू. 4 द्वारा तैयार किए गए एक्सएच/प्रर्दश 1/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। में यह राय दी गई है कि जननांग की चोट के आधार पर बलात्कार का सबूत मौजूद है। पी. डब्ल्यू. 4 अर्थात डॉ. मंजू कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उन्हें सदर होस्पिटल खगड़िया में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और उन्होंने अभियोजिका की जांच की थी और चोटों का पता लगाया था, जैसा कि उनके द्वारा दिनांकित 01.04.2012 के मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज किया गया है जो उनके द्वारा साबित किया गया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह उनके द्वारा तैयार किया गया था और उनके हस्ताक्षर भी हैं। पी. डब्ल्यू. 4 ने अभियोजिका की दिनांकित पूरक चिकित्सा रिपोर्ट 21.05.2012 को भी साबित किया है, जिसमें यह राय दी गई है कि जननांग की चोट को देखते हुए, बलात्कार का सबूत मौजूद है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पी. डब्ल्यू. 4 ने कहा है कि पीड़ित के शरीर पर पाई गई चोट नुकीले कठोर पदार्थ से संभव हो

सकती है, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया है कि उसे पीड़ित पर बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला है और उसकी रिपोर्ट और राय असत्य है।

11. अपीलार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों के संबंध में हमने पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य का अध्ययन किया है जिससे हम पाते हैं कि उक्त गवाहों के देहाती/ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होने और व्यावहारिक रूप से अनपढ़ होने के कारण तुच्छ मामलों पर मामूली विसंगतियां हो सकती हैं, इसलिए, सूक्ष्म दृष्टिकोण के साथ उनके साक्ष्य की जांच करना न्याय उन्मुख न्यायिक प्रणाली के उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत होगा। पीडब्लू 2 के फरदबेयान और पीडब्लू 2 और पीडब्लू 8 के साक्ष्य के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अभियोजिका के साथ बलात्कार किए जाने का तथ्य उसमें लगातार वर्णित है, इसके अलावा कोई विसंगति/विरोधाभास नहीं है। हम 01.04.2012 की मेडिकल रिपोर्ट से यह भी पाते हैं कि योनि की बाईं और दाईं दीवार पर और पेरिनियम के मध्य भाग में चोट/घाव पाया गया है, जो पोस्टीरियर कमीशन तक फैला हुआ है, जो निश्चित रूप से अभियोजिका पर बलात्कार किए जाने के तथ्य की पुष्टि करता है और इसकी पुष्टि 21.5.2012 की पूरक मेडिकल रिपोर्ट से भी होती है, जिसमें यह राय दी गई है कि बलात्कार के सबूत मौजूद हैं, जननांग की चोट की प्रकृति को देखते हुए, जो आगे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, बिहार, पटना, दिनांक 24.8.2012 की रिपोर्ट से पुष्टि करता है, जिसके अनुसार अभियोजिका के कपड़ों पर खून पाया गया है। जबकि उसके अंडरगारमेंट (पैंटी) पर वीर्य पाया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य/शुक्राणु योनि के भीतर पाए जाने चाहिए।

12. यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि बलात्कार के मामले में, एक अभियोजिका की गवाही एक घायल गवाह की तुलना में बेहतर स्थिति में है और यदि अभियोजिका की गवाही विश्वास को प्रेरित करती है और विश्वसनीय प्रतीत होती है, तो पुष्टि के लिए जोर देना वास्तव में आवश्यक नहीं है। यह समान रूप से एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि अभियोजिका की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है और परिस्थितियों का अभाव है, जो उसकी सच्चाई के खिलाफ है। इस संबंध में, (2010) 2 एस. सी. सी. 9 में रिपोर्ट किए गए ***वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के साथ-साथ ***विजय उर्फ चीनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो (2010) 8 एस. सी. सी. 191 में रिपोर्ट किया गया था। यह लाभकारी होगा कि हम एक और निर्णय का उल्लेख करें, जो माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा ***शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य*** के मामले में दिया गया था, जो (2018) 18 SCC 34 में रिपोर्ट किया गया है, जिसके पैरा संख्या 6 और 7 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> *"6. हम इस बात से अवगत हैं कि बलात्कार के आरोप में एक आरोपी पर मुकदमा चलाते समय अदालतों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए। अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोजिका के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए घातक प्रकृति के नहीं हैं। यदि अभियोजिका का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है, तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से अदालत को उसकी गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे सबूत की तलाश कर सकती है जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके, जो किसी सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम हो। अभियोजिका की गवाही की पूरे मामले की पृष्ठभूमि में सराहना की जानी चाहिए और अदालत को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए और यौन उत्पीड़न या यौन हमलों से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान संवेदनशील होना चाहिए। [पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह का मामला देखें। [पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एससीसी 384:1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 316] (एस. सी. सी. प.403, पैरा 21).]*
>
> *7. अब यह भी अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालतों को सबूतों का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य पर कायम रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में, कोई भी आत्म-सम्मानित महिला अदालत में केवल अपने सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी जैसे कि उस पर बलात्कार करने में शामिल है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, कथित विचारधाराएँ जिनका अभियोजन मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है या यहां तक कि अभियोजिका के बयान में विसंगतियां भी , जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, एक अन्यथा*

विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने की अनुमति दी नहीं जानी चाहिए। महिलाओं की अंतर्निहित शरारत और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें अदालतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़ित की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक कि उसके बयान की पुष्टि करने के लिए मजबूर करने वाले कारण न हों, अदालतों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास को प्रेरित करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि करना, एक नियम के रूप में, ऐसे मामलों में चोट के अपमान को जोड़ने के बराबर है। (रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य (रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य, (1998) 8 एस. सी. सी. 635) देखें। .

13. हम पाते हैं कि अभियोजिका का साक्ष्य न केवल विश्वसनीय है, बल्कि विश्वसनीय और पूरी तरह से भरोसेमंद भी है और इसकी वास्तविकता के बारे में संदेह करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए अभियोजिका की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी की दोषसिद्धि निश्चित रूप से कायम रखी जा सकती है। (2020) 10 एस. सी. सी. 573 में रिपोर्ट किए गए ***गणेशन बनाम राज्य*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता/अभियोजिका की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है जब अभियोजिका की गवाही विश्वसनीय, बेदाग और विश्वसनीय पाई जाती है।

14. जहां तक फरब्यन/एफ. आई. आर. को प्रदर्शित और साबित नहीं किए जाने के संबंध में , यह न्यायालय (2002) 6 एस. सी. सी. 81 में रिपोर्ट किए गए ***कृष्ण मोची और अन्य बनाम बिहार राज्य*** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करेगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट साबित नहीं होती है, तो भी यह बरी होने का आधार नहीं होगा, लेकिन मामला अभियोजन पक्ष के नेतृत्व वाले साक्ष्य पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, घटना, जैसा कि फरदबेयान/एफ़. आई. आर. में वर्णित है, पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य में भी वर्णित की गई है, इसलिए, केवल इसलिए कि वर्तमान मामले में फरदबेयान/एफ़. आई. आर. प्रदर्शित नहीं की गई है, इसने न तो अपीलार्थी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा किया है और न ही इससे कोई भौतिक अंतर पड़ता है। जहाँ तक जाँच

अधिकारी से पूछताछ न करने का संबंध है, हम पाते हैं कि अपीलार्थी अपने प्रति हुए पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने में विफल रहा है, इसलिए यह किसी भी तरह से अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि उत्पीड़न का मामला केवल जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के कारण विफल नहीं होता है, जब तक कि चश्मदीद गवाह (वर्तमान मामले में अभियोजिका) की विश्वसनीयता बरकरार रहती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ***बिहारी प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य*** के मामले में जो (1996) 2 एस. सी. सी. 317 में रिपोर्ट किया गया था, का उल्लेख किया जाना चाहिए। अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील के इस आशय के तर्क के संबंध में कि धारा 53 दं प्र सं का उल्लंघन किया गया है, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में दं प्र सं की धारा 53 ए लागू होगी न कि दं प्र सं की धारा 53। इसके अलावा, अपीलार्थी को अपराध करने के चार दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था, इसलिए, जांच अधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी के खून के धब्बे / वीर्य वाले कपड़ों की कोई बरामदगी नहीं की गई थी, चिकित्सक द्वारा अपीलार्थी की जांच कराना उचित नहीं समझा होगा। वास्तव में, यदि अपीलार्थी अपनी बेगुनाही के बारे में आशावादी था, तो वह अपने वीर्य की जांच करने/अपने रक्त के नमूने, बाल, त्वचा, ऊतक आदि का डी. एन. ए. परीक्षण कराने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता था, ताकि अभियोजिका के अंडरगारमेंट पर पाए गए वीर्य/शुक्राणु के साथ इसका मिलान किया जा सके, हालांकि वह मौन रहा।

15. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और साक्ष्य पर विचार करते हुए, जो अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया है, साथ ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता पर विचार करते हुए, जिसे मेडिकल रिपोर्ट/एफएसएल रिपोर्ट के साथ प्रतिपरीक्षा के दौरान अस्वीकृत नहीं किया गया है, कोई संदेह पैदा करने का कारण नहीं है। हमने अभिलेख पर में उपलब्ध सामग्री की जांच की है और दोषसिद्धि और सजा के विवादित निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाते हैं, इसलिए, इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. अलग होने से पहले, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि बलात्कार सबसे जघन्य अपराध है, न केवल पीड़ित के खिलाफ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ

भी, जो पीड़ितों को एक महिला की गोपनीयता और पवित्रता के अधिकार पर गैरकानूनी घुसपैठ के अलावा गहरे भावनात्मक निशान छोड़ देता है। यौन हिंसा न केवल एक बर्बर कार्य है, बल्कि बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ अपराध है और पीड़ित के मौलिक अधिकार, अर्थात् जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है, इस प्रकार, अदालतों से न केवल अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के मामलों से निपटने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि कठोरता और निर्दयता से भी।

17. तदनुसार, वर्तमान अपील अर्थात 2015 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 505 खारिज की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।